



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012024-251278
CG-DL-E-11012024-251278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2024/पौष 20, 1945

No. 128]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2024/PAUSHA 20, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

का.आ.135(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के कछार जिले में NH37 के कि.मी. 17.800 से कि.मी.27.300 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उपायुक्त, कछार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के कछार जिले में NH37 के कि.मी. 17.800 से कि.मी. 27.300 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: कछार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कटिगोरा					
गांव का नाम: मोहनपुर पं। द्वितीय					
1	107	निजी	कृषि (चर)	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
2	252	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.2197 (हेक्टेयर)	0.2197
3	252	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.1891 (हेक्टेयर)	0.1891
4	257	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
5	66	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
6	66	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0134 (हेक्टेयर)	0.0134
गांव का नाम: गोर्बिंदपुर पं। प्रथम					
7	33	निजी	कृषि (शैल उरा)	0.0234 (हेक्टेयर)	0.0234
गांव का नाम: गोर्बिंदपुर पं। द्वितीय					
8	69	निजी	कृषि (शैल उरा)	0.0318 (हेक्टेयर)	0.0318
गांव का नाम: गोर्बिंदपुर पं। तृतीय					
9	809	निजी	कृषि (शैल उरा)	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
गांव का नाम: तारिणीपुर पं। प्रथम					
10	311	निजी	गैर-कृषि (बारी)	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
11	313	निजी	कृषि (शैल उरा)	0.0117 (हेक्टेयर)	0.0117
12	38	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046

गांव का नाम: निज-फुलबारी पं प्रथम					
13	248	निजी	कृषि (शैल उरा)	0.0109 (हेक्टेयर)	0.0109
14	423	निजी	कृषि (शैल उर)	0.0346 (हेक्टेयर)	0.0346
Total					0.5832

[फा. सं. PMU-SILCHAR/FEEDBACK/4L-SBC/LA/2021-22/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2024

S.O. 135(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH37 in the stretch of land from Km. 17.800 to Km. 27.300 in the district of CACHAR in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner, Cachar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH37 in the stretch of land from Km. 17.800 to Km. 27.300 in the district of CACHAR in the state of ASSAM

State: ASSAM			District: CACHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Katigora					
Village: Mohanpur Pt II					
1	107	Private	Agriculture (Chara)	0.0072 (Hectare)	0.0072
2	252	Private	Agriculture (Aachra Ura)	0.2197 (Hectare)	0.2197
3	252	Private	Agriculture (Aachra Ura)	0.1891 (Hectare)	0.1891
4	257	Private	Agriculture (Aachra Ura)	0.0062 (Hectare)	0.0062
5	66	Private	Agriculture	0.013 (Hectare)	0.013

			(Aachra ura)		
6	66	Private	Agriculture (Aachra ura)	0.0134 (Hectare)	0.0134
Village: Gobindapur Pt I					
7	33	Private	Agriculture (Shail Ura)	0.0234 (Hectare)	0.0234
Village: Gobindapur Pt II					
8	69	Private	Agriculture (Shail Ura)	0.0318 (Hectare)	0.0318
Village: Gobindapur Pt III					
9	809	Private	Agriculture (Shail Ura)	0.0055 (Hectare)	0.0055
Village: Tarinipur Pt I					
10	311	Private	Non-Agriculture (Bari)	0.0121 (Hectare)	0.0121
11	313	Private	Agriculture (Shail Ura)	0.0117 (Hectare)	0.0117
12	38	Private	Agriculture (Aachra Ura)	0.0046 (Hectare)	0.0046
Village: Niz-Fulbari Pt I					
13	248	Private	Agriculture (shail ura)	0.0109 (Hectare)	0.0109
14	423	Private	Agriculture (Shail ura)	0.0346 (Hectare)	0.0346
Total					0.5832

[F. No. PMU-SILCHAR/FEEDBACK/4L-SBC/LA/2021-22/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.